न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – यशपाल आहूजा, आर.ए.एस.

आवेदनपत्र संख्या 59 / 2016
अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

सतीशकुमार आयु 55 वर्ष आत्मज श्री मुरारीलाल, अरोड़ा, गांव पक्की तहसील व जिला श्रीगंगानगर.

.....आवेदक

बनाम

सतनामसिंह आयु 53 वर्ष आत्मज श्री गुरदततसिंह, रायसिख, चक 1 सी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

.......अनावेदक

उपस्थिति– श्री रांझासिंह (आवेदक)

दिनांक 20 सितम्बर, 2017

– आदेश –

आवेदनपत्र के अनुसार चक 1 सी बड़ी तहसील जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 4/6 मुरब्बा नम्बर 30 एवं 49 की कुल 1.468 हैक्टर नहरी, 4.592 हैक्टर बारानी एवं 0.264 हैक्टर खाला के संयुक्त खाता में से 1.533 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2068–2071 के अनुसार अनावेदक के नाम पर खातेदारी दर्ज है. अनावेदक द्वारा अपने हिस्सा की 1.533 हैक्टर अर्थात 16.00 बीघा कृषि भूमि को कुल 60,000.00 में आवेदक को विकय कर दस्तावेज बैयनामा दिनांक 23 जून, 2014 को कार्यालय उप पंजीयक, हिन्दूमलकोट में पंजीबद्व करवाया गया. जिस पर आवेदक कयतिथि से ही काबिज चला आ रहा है. किन्तु पंजीबद्व बैयनामा के आधार पर राजस्व अभिलेखों में आवेदक के पक्ष में दर्ज नहीं हुआ है तथा राजस्व अभिलेखों में विकयाधीन कृषि भूमि अनावेदक के नाम से ही चली आ रही है. वर्तमान में, उक्त कृषि भूमि के मुल्यों में वृद्वि होने के कारण अनावेदक विकयाधीन कृषि भूमि का राजस्व अभिलेखों में आवेदक का नाम दर्ज नहीं करवाकर बिकीत कृषि भूमि को किसी अन्य को विकय करने में प्रयासरत है. तथा आवेदक पंजीबद्व बैयनामा दिनांक 23 जून, 2014 के आधार पर खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी है. आवेदक का विकय विलेख तिथि से ही कयाधीन कृषि भूमि पर शान्तिपूवर्क कब्जा चला आ रहा है. अनावेदक राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज होने का लाभ उठाने की दृष्टि से पूर्व में आवेदक को बिकीत कृषि भूमि को अन्य को बंधक, विकय एवं अन्तरित करने में प्रयासरत है. इसलिये आवेदक, अनावेदक के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि अनावेदक उक्त कृषि भूमि को किसी अन्य को बंधक,

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

विक्रय अथवा किसी भी प्रकार से अन्तरित करने से निषिद्य रहे तथा आवेदक के कब्जा काश्त में स्वयं अथवा किसी भी अन्य के माध्यम से हस्तक्षेप करने से निषिद्य रहे. इस प्रकार आवेदक द्वारा वाद के निस्तारण तक, अनावेदक के विरूद्व, चक 1 सी बड़ी के खाता संख्या 4/6 मुरब्बा नम्बर 30 एवं 49 की 1.533 हैक्टर में से 0.202 हैक्टर कृषि भूमि को किसी भी अन्य को बंधक, विक्रय अथवा किसी भी प्रकार से अन्तरित करने एवं आवेदक के कब्जा में स्वयं अथवा किसी भी अन्य के माध्यम से हस्तक्षेप करने से निषिद्य रहने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया गया. आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थनर में पंजीबद्व दस्तावेज बैयनामा दिनांक 23 जून, 2014 एवं जमाबन्दी सम्बत् 2068–2071 की चित्रित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

अनावेदक की तलबी हेतु जारी पंजीकृत नोटिस की पावती प्रस्तुत जिस पर अनावेदक को रूक रूक कर निरन्तर आवाजें लगवाये जाने पर भी उपस्थित नहीं आने के परिणामतः अनावेदक के विरूद्व आदेश दिनांक 1 सितम्बर, 2017 द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही की गयी.

आावेदकगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन किया जाकर प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु तीनों महत्वपूर्ण बिन्दुओं कमशः प्रथम दृष्टया वादकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमेय क्षति की विवेचना की गयी.

आवेदक द्वारा चक 1 सी बड़ी के खाता संख्या 4/6 मुरब्बा नम्बर 30 एवं 49 की 1.533 हैक्टर में से 0.202 हैक्टर कृषि भूमि पंजीबद्व दस्तावेज बैयनामा दिनांक 23 जून, 2014 द्वारा कय की गयी है तथा कयाधीन कृषि भूमि का कब्जा आवेदक के पास चला आ रहा है ऐसी स्थिति में, सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमेय क्षति का बिन्दु आवेदक के पक्ष में होने के कारण आवेदनपत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि अनावेदक, मूल वाद के निस्तारण तक, चक 1 सी बड़ी के खाता संख्या 4/6 मुरब्बा नम्बर 30 एवं 49 की 1.533 हैक्टर में से 0.202 हैक्टर कृषि भूमि को बंधक, विक्रय अथवा किसी भी अन्य प्रकार से अन्तरित करने से निषिद्य रहे.

आदेश अधिवक्तागण के समक्ष खुले न्यायालय में आज दिनांक 20 सितम्बर, 2017 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(यशपाल आहूजा)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर